



خواجہ معین الدین چشتی اردو، عربی-فارسی یونیورسٹی لکھنؤ
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Urdu, Arabi-Farsi University, Lucknow


संख्या:- 110 / उअफाविवि / प्रका / 2017 / 399 / 17
दिनांक: 12 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जॉचोंपरात दिनांक 24 अगस्त, 2017 को बी0ए0जे0एम0सी0 की कक्षा में हुई मारपीट की घटना में श्री संदीप तिवारी पुत्र श्री विकास चन्द्र तिवारी निवासी- 544/295 एकता नगर, कैम्पल रोड, लखनऊ को दोषी पाया गया है।

अतः जॉच समिति की संस्तुति एवं मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत श्री संदीप तिवारी पुत्र श्री विकास चन्द्र तिवारी को विश्वविद्यालय से निष्कासित किये जाने का निर्णय लिया गया है।


2- उपरोक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(डॉ0 नीरज शुक्ल)
कुलानुशासक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. समस्त विषय प्रभारी।
4. प्रोक्टोरियल बोर्ड के समस्त सदस्य।
5. वेबमास्टर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. सम्बन्धित छात्र एवं उनके अभिभावक।
7. सूचना पटल।
8. गार्ड फाइल।


(डॉ0 नीरज शुक्ल)
कुलानुशासक।